न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 20/2017

बउनवान

1– लखन आयु 50 साल पुत्र श्री रतनलाल जाति–सोनी निवासी–बारां तहसील–बारां जिला–बारां

2– नन्दकवॅर आयु 70 साल पुत्री श्री रतनलाल पत्नी हर्षचद जाति–सोनी निवासी बारां हाल निवास झालरापाटन जिला–झालावाड(राज0) **(अपीलांट)**

Web Copy - Not Official

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्व तहसीलदार,बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 545 दिनांक 02.08.2014 वाके माल कल्याणपुरा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन राठोर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 07.02.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 545 दिनांक 2.8.2014 वाके माल कल्याणपुरा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से उक्त इन्तकाल खोलने में कानूनी भूल की है। अपीलांट्स व सहखातेदारान् के शामलाती खातेदारी की आराजियात् वाके माल कल्याणपुरा तह. बारां में खाता सं. नई 111 पुरानी 32 खसरा नम्बर 315 रकबा 2.08 है0 स्थित है जिसमें अपीलांटस का हक व हिस्सा है तथा काबिज काश्त है। नकल जमाबन्दी सं. 2070 से 2073 में अपीलांट्स का बोलता नाम लखन के स्थान पर लक्ष्मीनारायण एवं नन्दकवॅर के स्थान पर नन्दुबाई दर्ज हो गया है। जबकि अपीलांट्स का वास्तविक नाम लखन एवं नंदकवॅर है जो सहीं है तथा सरकारी दस्तावेज में भी लखन व नंदकॅवर है तथा उनके परियच–पत्र, आधारकार्ड इत्यादि में भी नाम लखन व नन्दकवॅर है। अपीलांट्स को नकल जमाबंदी में नाम गलत होने से काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 545 ता. 2.8.14 को निरस्त कर, अपीलांट के नाम सहीं दर्ज करने की कृपा करें।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि गीताबाई पत्नी रतनलाल जाति–सुनार के खाता सख्या 111 पुराना 32 खसरा नम्बर 315 रकबा 2.08 है0 में हिस्सा 1/2 वाके ग्राम कल्याणपुरा में स्थित है। गीताबाई जो अपीलांट्स की माता है, इनके फौत होने पर इन्तकाल नं0 545 वारिसान् के नाम खोला गया है जिसमें सहवन से गीताबाई के वारिसान् में पुत्र लखन का नाम लक्ष्मीनारायण एवं पुत्री नन्दकवॅर का नाम नन्दूबाई गलत तौर से दर्ज किया गया है। उक्त दर्ज नाम बोलते नाम है, जिसे सहवन से दर्ज किया गया है। जबकि सरकारी रेकार्ड में दोनों के नाम लखन व नन्दकॅवर है। इसी नाम से इनके पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बने हुए है, सभी में लक्ष्मीनारायण का वास्तविक नाम लखन एवं नन्दूबाई का वास्तविक नाम नंदकवॅर दर्ज है। लखन बारां में हीं निवास करता है तथा नन्दूबाई की शादी हर्षचंद सोनी निवासी झालरापाटन जिला–झालावाड़ होने से वह झालरापाटन निवास करती है। अपने कथन के समर्थन में दोनों लखन व नन्दकॅवर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। अतः इन्तकाल नं0 545 को निरस्त किया जाकर, अपीलांट्स लक्ष्मीनारायण का नाम लखन एवं नन्दूबाई का नाम नन्दकवॅर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट्स अभिभाषक के कथन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि सहवन से गीताबाई का फौती इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलांट्स नाम लक्ष्मीनारायण व नन्दूबाई दर्ज हुआ है। यदि उनका नाम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गीताबाई पत्नी रतनलाल सोनी निवासी–बारां के फौत होने पर, वारिसान तीन पुत्र व पॉच पुत्रियों के नाम फौती इन्तकाल दर्ज किया गया है। अपीलांट्स का कथन है कि उसका वास्तविक नाम लखन है जिसका बोलता नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज किया गया है तथा नन्दकवॅर का नन्दूबाई दर्ज किया गया है। इस परिपेक्ष्य में अपीलांट्स को सुना गया तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट्स के सरकारी रेकार्ड व दस्तावेजात् के अनुसार वास्तविक नाम लखन व नन्दकॅवर हीं है। अपीलांट्स का नाम सहवन से गलत तौर पर दर्ज किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नं0 545 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील–बारां में अपीलांट्स लक्ष्मीनारायण का नाम लखन तथा नन्दूबाई का नाम नन्दकवॅर दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार, बारां को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official